

Date: 26th November, 2023

To,
The Senior Manager,
Listing Compliance,
Bombay Stock Exchange Limited,
Floor 25, P.J. Tower, Dalal Street, Mumbai -400001

To,
The Manager
National Stock Exchange of India
Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla
Complex, Bandra East-400051

Symbol: HARDWYN
Scrip Code: 541276

Subject: Newspaper advertisement regarding the Notice of Postal Ballot & Remote E-Voting

Dear Sir/Ma'am,

In terms of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the newspaper advertisement regarding the Notice of Postal Ballot of the Company, information on Remote E-voting and other related information published on 26th November, 2023 in the following newspapers:

- "Financial Express" for English language national daily wide circulation;
- "Jansatta" in Hindi (Regional) language.

This will also be hosted on the Company's website at www.hardwyn.com

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For and on behalf of
Hardwyn India Limited

For Hardwyn India Limited

Director

RUBALJEET SINGH SAYAL
Managing Director
DIN: 00280624

पहचान की अपील



सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक अज्ञात व्यक्ति जिसका नाम : नामालूम, पुत्र: नामालूम, निवासी: नामालूम उम्र : लगभग 35–40 साल, कद: 5’7”, रंग: सांबला, चेहरा : गोला, चोट : बायां हाथ कंधे और कोहनी से टूटा हुआ, नाक से खून और शरीर पर रगड़ के निशान है, कपड़े : पीले रंग की टी-शर्ट और ग्रे रंग की फ़ैट पहने हुए है जो दिनांक 10.05.2023 को किमी. पोल नं 3 / 12 – 3 / 14 के बीच, नॉर्थ लाईन, गली नं. 15 के निकट, अजीत नगर, दिल्ली में मृत अवस्था में पाया गया है। इस संदर्भ में डीओरि से 07ए दिनांक 10.05.2023 थाना पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली में दर्ज है।

यदि किसी भी व्यक्ति को इस मृत व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी या सुराग मिले तो निम्नलिखित को सूचित करने की कृपा करें—

थानाध्यक्ष : थाना पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली DP/13559/RLY/2023 दूरभाष सं. 011-23961522, 8750871302

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंश लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टावर ए, पेनसिलुवा बिल्डिंग नं.62, गणतन्त्र कदम मार्ग, कोलार पथक, मुंबई-400013 सौभाग्य नं. U.67190MH2008PL187552

कच्चा-सूचना (अचल संपत्ति हेतु) (प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी विविध परामर्शों का प्रतियुक्तकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतियुक्त हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेश लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में जारी और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित एक मांग नोटिस जारी है, जिसमें उधारकर्ता को नोटिस में उल्लिखित धारा को उस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाव के लिए कहा गया।

उधारकर्ता द्वारा उक्त राशि का भुगतान करने में विफल होने पर, विशेष रूप से उधारकर्ताओं और सामान्य तौर पर जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियम के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते नीचे वर्णित संपत्ति का कच्चा कर लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम तौर पर जनता को, संपत्ति के साथ सीदा न करने के लिए चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेनदेन टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेश लिमिटेड को नीचे निर्दिष्ट राशि, उसके साथ उस ब्याज और नीचे निर्दिष्ट तारीख से दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि के भ्रमर के अधीन होगा। प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम को धारा 13 की उप-धारा (8) के प्राधान्यों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ऋण खाता संख्या:	बातचीतधारी (ए/ए) /कानूनी वारिस/ कानूनी प्रतिनिधित्व का नाम	मांग सूचना की तिथि के अनुसार तिथि	कच्चे की तिथि:
94191 26	श्री राधे रंजन सिन्हा (उधारकर्ता के रूप में) और श्रीमती अनुशी सिन्हा (सह-उधारकर्ता)	22/08/2023 तक रु. 12,24,589/- (बाह्य लाख बीसहत्त हजार पांच सौ नवासी रुपये मात्र) बकाया	23.11.2023

प्रतिभूति संपत्तियों/अचल संपत्तियों का विवरण: आवासीय फ्लैट नं. 9, दूसरी मंजिल, एलआईडी, ब्लॉक – एफ, फ्लैट 03, सेक्टर वी-1, नरेश, नई दिल्ली-110040 स्थित सम्पत्ति का वह समस्त दुरुद्धा और अंश।

98706 01	श्री प्रमोद कुमार (उधारकर्ता के रूप में) और श्रीमती मीना कृष्णपाल (सह-उधारकर्ता)	22/08/2023 तक रु. 7,05,103/- (रुपय सात लाख पांच हजार एक सौ तीन पचास) बकाया	24.11.2023
-----------------	--	--	-------------------

प्रतिभूति संपत्तियों/अचल संपत्तियों का विवरण: आवासीय फ्लैट क्र. ई-4004, टावर/ब्लॉक-ई, सुपर एपार्स 970 वर्ग फुट , प्रोजेक्ट वेलीगैट विले, ब्लॉक नंबर जीएच-06बी, 2क जेन जेन, डेवरा अर्पा (डब्ल्यू), गौतमबुद्ध नगर-201301 (उत्तर प्रदेश) में स्थित सम्पत्ति का वह समस्त दुरुद्धा और अंश।

दिनांक:- 26/11/2023 हस्ता /— प्राधिकृत अधिकारी, स्थान:- दिल्ली एनसीआर

केन फिन होम्स लि. शाँ पं 4, चतुर्थ तल, एस.एल. टॉवर, निकट बँक ऑफ महाराष्ट्र, कामगिरी बेल्ट, अल्का-1, ग्रेटर नोएडा (यू.पी.) पिन-201308 CİN: L85110KA1987PLC008699, ई-मेल: greaternoida@canfinhomes.com मोबाइल सं : 7625079164, 0120-4569974

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने केन फिन होम्स लिमिटेड, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आसित्यों का प्रतियुक्तकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतियुति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रतियुक्ति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 का 54) के तहत साथ दिनांक 04.09.2023 को जारी की थी जिसमें कर्जदार स्वर्गीय दया राम ने अपने कानूनी उत्तराधिकारियों 1.श्रीमती ओमवती पत्नी स्वर्गीय दया राम, 2.श्री. सागर पुत्र स्वर्गीय दया राम, 3.श्री. हरेश पुत्र स्वर्गीय दया राम और 4.श्री. छतरपाल पुत्र स्वर्गीय दया राम के माध्यम से प्रतिनिधित्व (गारंटर) श्री राकेश सिंह दुग्गल पुत्र प्रताप सिंह से सूचना में वर्णितानुसार बकाया राशि रु.31,72,519/- (रुपय इकतीस लाख बहतर हजार पाँच सौ उन्नीस मात्र) और ब्याज उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर, चुकाने की मांग की गई थी। कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्वारा कर्जदार और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 11 में वर्णित संपत्ति का कच्चा दिनांक **20 नवम्बर 2023** को प्राप्त कर लिया है। सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्राधान्यों के लिा उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है। विशेष रूप से कर्जदार/रों, गारंटर/रों को तथा सामान्य रूप से जनसाधारण को इस संपत्ति के संबंध में संयवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संयवहार केन फिन होम्स लिमिटेड, की बकाया राशि रु.31,72,519/- (रुपय इकतीस लाख बहतर हजार पाँच सौ उन्नीस मात्र) और उस पर लागू ब्याज व अन्य शुल्क प्रभाराधीन होगा।

अवत सम्पत्ति का विवरण

सी-1/78, ग्राउंड फ्लोर, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन-II, ब्रह्मपुरा उर्फ भोपुरा, लोनी, गुजराबाद-201005। संपत्ति की सीमागिरी निम्नानुसार है: उत्तर: पार्क, दक्षिण: 30 फीट चौड़ी सड़क, पूर्व: ब्लॉक नंबर-सी-1/79, पश्चिम: ब्लॉक नंबर-सी-1/77

हस्ता, /— प्राधिकृत अधिकारी, केन फिन होम्स लिमिटेड

दि. 25.11.2023 स्थान: ग्रेटर नोएडा

केन्द्र सरकार (कम्पनी रजिस्ट्रार, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली के समक्ष

सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम 2008 सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2009, को धारा 13- (3) तथा सीमित दायित्व भागीदारी नियमावली, 2009 के नियम 17 के मामले में हैं,

तथा क्राफ्टफोलियो स्टूडियो एलएएलपी जिसका पंजीकृत कार्यालय ई-1/6, मालवीय नगर, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली-110017 (डीएल) आईएफ में हैं, मामले में हैं, ...आवेदक

एतद्वारा नव साधारण को सूचना दी जाती है, कि "रा.रा क्षेत्र, दिल्ली से "हरियाणा" राज्य में उसके पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन को अनुमति प्राप्त करने के लिये यह एलएएपी सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 (3)के साथ पठित सीमित दायित्व भागीदारी नियमावली, 2009 के नियम 17 के अंतर्गत कम्पनी रजिस्टार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। एलएएपी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यह किसी व्यक्ति हित प्रभावित होता हो, वे नीचे वर्णित पते पर उसके पंजीकृत कार्यालय में आवेदक एलएएपी को उसकी एक प्रति के साथ इस प्रकार के प्रकाशन की तिथि से 21 (इक्कीस) दिनों के भीतर अपने हित को प्रकट तथा आप्नी के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आप्ति कम्पनी रजिस्ट्रार, नई दिल्ली, के पास 4था तल, आंधरफर्सी आई टावर, 61, नेहरू प्लेय, नई दिल्ली-110019 (डीएल) में जमा करें, जमा कराए या पंजीकृत डाक से भेजें।

क्राफ्टफोलियो स्टूडियो एलएएपी पंजीकृत कार्यालय : ई-1/6, मालवीय नगर, दक्षिण दिल्ली नई दिल्ली-110017 (डीएल) आदर

कृते क्राफ्टफोलियो स्टूडियो एलएएपी हस्ता/— मनोज कुमार शुभा परनामिंत पाटेल DPIN: 01344761 पता : सी-19, कमला नगर, आगम- 282005 (उ.प्र.) आईएफ

प्ररूप संख्या आईएनसी-26 (कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार जारी है)

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपाधारा (4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (8) (i) के मामला में हैं,

आवेदक के लिए एफ.एल.एल.पी. के प्राधिकृत अधिकारी, केन फिन होम्स लिमिटेड

...आवेदक कम्पनी/व्यक्तिकर्ता एतद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कम्पनी-केन्द्रीय सरकार के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय "प्राइवेट राखानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए 20 नवंबर 2023 को आयोजित अग्रधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कम्पनी के मेमोरेण्डम ऑफ असोसिएशन में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यह किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो यह व्यक्ति या तो निदेशक (प्रबंधन और प्रशासन), नियम 2013 के अनुच्छेद 211 के अधीन (पैरा 1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांक 04.09.2023 को जारी की थी जिसमें कर्जदार स्वर्गीय दया राम ने अपने कानूनी उत्तराधिकारियों 1.श्रीमती ओमवती पत्नी स्वर्गीय दया राम, 2.श्री. सागर पुत्र स्वर्गीय दया राम, 3.श्री. हरेश पुत्र स्वर्गीय दया राम और 4.श्री. छतरपाल पुत्र स्वर्गीय दया राम के माध्यम से प्रतिनिधित्व (गारंटर) श्री राकेश सिंह दुग्गल पुत्र प्रताप सिंह से सूचना में वर्णितानुसार बकाया राशि रु.31,72,519/- (रुपय इकतीस लाख बहतर हजार पाँच सौ उन्नीस मात्र) और ब्याज उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर, चुकाने की मांग की गई थी। कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्वारा कर्जदार और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 11 में वर्णित संपत्ति का कच्चा दिनांक **20 नवम्बर 2023** को प्राप्त कर लिया है। सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्राधान्यों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है। विशेष रूप से कर्जदार/रों, गारंटर/रों को तथा सामान्य रूप से जनसाधारण को इस संपत्ति के संबंध में संयवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संयवहार केन फिन होम्स लिमिटेड, की बकाया राशि रु.31,72,519/- (रुपय इकतीस लाख बहतर हजार पाँच सौ उन्नीस मात्र) और उस पर लागू ब्याज व अन्य शुल्क प्रभाराधीन होगा।

आवेदक के लिए एफ.एल.एल.पी. के प्राधिकृत अधिकारी, केन फिन होम्स लिमिटेड

...आवेदक कम्पनी/व्यक्तिकर्ता एतद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कम्पनी-केन्द्रीय सरकार के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय "प्राइवेट राखानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए 20 नवंबर 2023 को आयोजित अग्रधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कम्पनी के मेमोरेण्डम ऑफ असोसिएशन में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यह किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो यह व्यक्ति या तो निदेशक (प्रबंधन और प्रशासन), नियम 2013 के अनुच्छेद 211 के अधीन (पैरा 1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांक 04.09.2023 को जारी की थी जिसमें कर्जदार स्वर्गीय दया राम ने अपने कानूनी उत्तराधिकारियों 1.श्रीमती ओमवती पत्नी स्वर्गीय दया राम, 2.श्री. सागर पुत्र स्वर्गीय दया राम, 3.श्री. हरेश पुत्र स्वर्गीय दया राम और 4.श्री. छतरपाल पुत्र स्वर्गीय दया राम के माध्यम से प्रतिनिधित्व (गारंटर) श्री राकेश सिंह दुग्गल पुत्र प्रताप सिंह से सूचना में वर्णितानुसार बकाया राशि रु.31,72,519/- (रुपय इकतीस लाख बहतर हजार पाँच सौ उन्नीस मात्र) और ब्याज उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर, चुकाने की मांग की गई थी। कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्वारा कर्जदार और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 11 में वर्णित संपत्ति का कच्चा दिनांक **20 नवम्बर 2023** को प्राप्त कर लिया है। सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्राधान्यों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है। विशेष रूप से कर्जदार/रों, गारंटर/रों को तथा सामान्य रूप से जनसाधारण को इस संपत्ति के संबंध में संयवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संयवहार केन फिन होम्स लिमिटेड, की बकाया राशि रु.31,72,519/- (रुपय इकतीस लाख बहतर हजार पाँच सौ उन्नीस मात्र) और उस पर लागू ब्याज व अन्य शुल्क प्रभाराधीन होगा।

आवेदक के लिए एफ.एल.एल.पी. के प्राधिकृत अधिकारी, केन फिन होम्स लिमिटेड

...आवेदक कम्पनी/व्यक्तिकर्ता एतद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कम्पनी-केन्द्रीय सरकार के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय "प्राइवेट राखानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए 20 नवंबर 2023 को आयोजित अग्रधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कम्पनी के मेमोरेण्डम ऑफ असोसिएशन में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यह किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो यह व्यक्ति या तो निदेशक (प्रबंधन और प्रशासन), नियम 2013 के अनुच्छेद 211 के अधीन (पैरा 1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांक 04.09.2023 को जारी की थी जिसमें कर्जदार स्वर्गीय दया राम ने अपने कानूनी उत्तराधिकारियों 1.श्रीमती ओमवती पत्नी स्वर्गीय दया राम, 2.श्री. सागर पुत्र स्वर्गीय दया राम, 3.श्री. हरेश पुत्र स्वर्गीय दया राम और 4.श्री. छतरपाल पुत्र स्वर्गीय दया राम के माध्यम से प्रतिनिधित्व (गारंटर) श्री राकेश सिंह दुग्गल पुत्र प्रताप सिंह से सूचना में वर्णितानुसार बकाया राशि रु.31,72,519/- (रुपय इकतीस लाख बहतर हजार पाँच सौ उन्नीस मात्र) और ब्याज उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर, चुकाने की मांग की गई थी। कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्वारा कर्जदार और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 11 में वर्णित संपत्ति का कच्चा दिनांक **20 नवम्बर 2023** को प्राप्त कर लिया है। सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्राधान्यों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है। विशेष रूप से कर्जदार/रों, गारंटर/रों को तथा सामान्य रूप से जनसाधारण को इस संपत्ति के संबंध में संयवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संयवहार केन फिन होम्स लिमिटेड, की बकाया राशि रु.31,72,519/- (रुपय इकतीस लाख बहतर हजार पाँच सौ उन्नीस मात्र) और उस पर लागू ब्याज व अन्य शुल्क प्रभाराधीन होगा।

ऋण खाता संख्या:	आबंधक(ए/ए) /कानूनी उत्तराधिकारी(ए/ए) /कानूनी प्रतिनिधित्व का नाम	मांग सूचना की तिथि एवं एम्पली की तिथि	प्रत्यमूर्त आसित्यों/अचल सम्पत्तियों/बैंकक रक़ी संपत्तियों का वर्णन
LXKNN 00518-190000 524	श्री सुनील कुमार	31-10-2023 तक रु. 242,562/- (रुपय दो लाख बीसहत्त हजार पांच सौ बासठ मात्र) की राशि	सम्पत्ति सं. – ब्लॉक वॉक, शास्त्री नगर, निकट शिव काला, नौी, करनाल, खेवट नगर 3883, खसौत नगर 5823 (वरीका नगर 4673/1 दिनांकित 16-08-2018) परिणाम 55 वर्ग पांचा, जो निम्नानुसार परिवर्द्ध है : पूर्व : स्वामित्व विलेख के अनुसार, पश्चिम : स्वामित्व विलेख के अनुसार, उत्तर : स्वामित्व विलेख के अनुसार, दक्षिण : स्वामित्व विलेख के अनुसार,
LXKNN 00518-190000 442	श्री वीर चंद, श्री बन्वर्दे, श्रीमती सीमा देवी	31-10-2023 तक रु. 9,81,696/- (रुपय नौ लाख इक्कीस हजार छह सौ छियावन मात्र) की राशि	सम्पत्ति सं. – मकान नंबर 2959, पिगली चौक, गुरु नानक पुरा, कैथल रोड, करनाल, हरियाणा-132001. जो निम्नानुसार परिवर्द्ध है : पूर्व : स्वामित्व विलेख के अनुसार, पश्चिम : स्वामित्व विलेख के अनुसार, उत्तर : स्वामित्व विलेख के अनुसार, दक्षिण : स्वामित्व विलेख के अनुसार,
LXKNN 00518-190000 285	श्री पवन कुमार, श्रीमती मीनू	31-10-2023 तक रु. 6,51,974/- (रुपय छह लाख इक्कीयन हजार नौ सौ बीसहत्त मात्र) की राशि	सम्पत्ति सं. – खेवट नंबर 2571, 2719, खसौती नंबर 4615, 4810, खसर नंबर 11580/4693 (17), 11580/4693 (10-13), वाका बालीबिही बरौती कालोनी, यूनिसिपल कमेट्री सीमांतगर्ग, हरीशरी एल वसिनी- करनाल, (पुराना वरीका नंबर 30333 वर्ग दिनांकित 31-10-2012) करनाल, हरियाणा-132001, जो निम्नानुसार परिवर्द्ध है : पूर्व : स्वामित्व विलेख के अनुसार, पश्चिम : स्वामित्व विलेख के अनुसार, उत्तर : स्वामित्व विलेख के अनुसार, दक्षिण : स्वामित्व विलेख के अनुसार,

* भुगतान तथा/अवका वसूली की तिथि तक उपरिखर्णित तिथि की संबंधित मांग सूचना में अधिक स्पष्ट रूप से वर्णित तद पर आगे ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, उपगत अनुभवी खर्च, लागवी, प्रभारों इत्यादि सहित। यदि उक्त आबंधक(ए/ए) आईएफएलएफएफएल को उपरोक्तानुसार भुगतान करने में असफल रहेंगे, तो आईएफएलएफएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागू नियमों के तहत उपरोक्त प्रत्यमूर्त आसित्यों/अचल सम्पत्तियों(ए/ए) के विरुद्ध कानूनीवादी आरंभ करके जिसकी लागत एवं परिणामों के लिए उक्त आबंधक(ए/ए) /कानूनी उत्तराधिकारी(ए/ए) /कानूनी प्रतिनिधित्व का वर्णन से जिम्मेदार होगा।

उक्त आबंधक(ए/ए) /कानूनी उत्तराधिकारी(ए/ए) /कानूनी प्रतिनिधित्व(ए/ए) उक्त अधिनियम के तहत आईएफएलएफएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना उपरोक्त प्रत्यमूर्त आसित्यों/अचल सम्पत्ति विक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से अंतरित नहीं कर सकते हैं। अधिनियम अथवा तदधीन निहित नियमों के प्राधान्यों का उल्लंघन करने वाला अवका उल्लंघन के लिए अभिवर्तित करने वाला व्यक्ति अधिनियम के तहत दी गई व्यवस्था के अनुसार कारावास तथा/अथवा आर्थिक दंड का भागी होगा।

वास्ते आईएफएल हाउसिंग फायनैस लिमिटेड हस्ता, /— प्राधिकृत अधिकारी सपर्यंक पता : डी-16, प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर, प्रशांत विहार, सेक्टर-14, राँहिणी, नई दिल्ली – 110085

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 सीआरपीसी देखिए मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त मो. सोहेल पुत्र सादिक निवासी मकान नं. डी-666, गली नं.19 व, चौदान बांगर, सीलमपुर, दिल्ली ने case FIR No. 306/2017 U/S 356/379/411 IPC, थाना आई.पी. एस्टेट, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त मो. सोहेल मिल नहीं रहा है और मुझे सामाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया गया है कि उक्त मो. सोहेल फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है।)

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि case FIR No. 306/2017 U/S 356/379/411 IPC, थाना आई.पी. एस्टेट, दिल्ली के उक्त अभियुक्त मो. सोहेल से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद /मुकदमा का उत्तर देने के लिए दिनांक 09.01.2024 को या उससे पूर्व हाजिर हो।

आदेशानुसार श्री विनोद कुमार, मनगनगर दंडाधिकारी-03, केन्द्रीय जिला, कम्पान नं. 150 तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली DP/13494/CD/2023(Court Matter)

आपरा चाल, जिला पलवल-121102

कच्चा सूचना [धारा 13 (4)] (अचल सम्पत्ति के लिये) जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) (यहां के बाद "अधिनियम" वर्णित) के अंतर्गत केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 22.6.2023 जारी कर ऋणधारक मी. बिन्दल शटर, श्रीमती कविता बिन्दल, पत्नी श्री सुनील कुमार की प्रॉप्राइटरशिप को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 45,31,330.03 (रु. पैतालिस लाख इक्कतीस हजार तीन सौ तीस पैसे तीन मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज 24 नवम्बर, 2023 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उद्धे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कच्चा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 45,31,330.03 (रु. पैतालिस लाख इक्कतीस हजार तीन सौ तीस पैसे तीन मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये केनरा बैंक के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संक्षेप में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्राधान्यों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति मांग 3 मरला (30'x30') खेवत/खेतोंनं. 3589/4181 (नया 3843/4375) खसर नं. 1477 6-1, यूनिसिपल सम्पत्ति सं. 30. तृती मार कालोनी, पलवल, हरियाणा 121102 का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दी : उत्तर : अन्य सम्पत्ति, दक्षिण : अन्य सम्पत्ति, पूर्व 11' रोड, पश्चिम : अन्य सम्पत्ति

तिथि : 26.11.2023, स्थान : पलवल प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

गुमशुदा/अपहृत किसी की तलाश

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक लड़की (फोटो में दर्शायी गई) जिसका नाम ग्रिंथोका पुत्री अजय सिंह निवासी मकान नं. I-600/1, नरेश नगर एक्स.-2, जैतपुर, नई दिल्ली जो अपने घर से दिनांक 08.10.2023 प्रातः 10.00 बजे से लापता/अपहृत हो गई है। इस संदर्भ में एक एफआईआर नं./डीडी नं. 80ए/23 दिनांक 09.10.2023 को थाना जैतपुर, नई दिल्ली में रिपोर्ट दर्ज है। स्थानीय पुलिस से इस लड़की का पता लगाने के लिए नगरीय प्रयास किए जाते हैं।अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। जिसका दुःखित नीचे दिया गया है:-

लिंग: महिला, आयु: 19 वर्ष, कद: 5' 1" फीट, रंग: गोरा, चेहरा: गोला, शरीर: मजबूत, पहनाव: एक का टॉप व बलू रंग का ब्लाज़ो और पैरो में नेपाल पहने हुए है। अगर किसी को इस गुमशुदा/अपहृत लड़की के बारे में कोई जानकारी मिले तो निम्नलिखित पते पर सूचित करें:-

थाना प्रभारी वैनसाइट: http://cbi.nic.in थाना जैतपुर, दिल्ली ई-मेल: cbc@cbi.gov.in फोन: 011-26666410, 26666412 मोबाइल: 8750871645 फैक्स नं.-011-24368639 DP/12930/SE/2023

हार्डवेन इंडिया लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 101, माधुरी इन्डियन राय, केन-1, नई दिल्ली-110008 फोन: 011-28852811, 2814072, 2814643, 2814644 ज़ाक नमब्रार और ई-मालवती को सूचना

कम्पनी के सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम" की धारा 108 और धारा 110 के साथ के पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन), नियम, 2014 के नियम 20 और नियम 22 के साथ पठित कोर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी (पैसली) इसके बाव साप्ताहिक रूप से "एसपीएफ परिपत्रों" के रूप में संश्लेषित) द्वारा जारी 30 सितंबर, 2023 तक उद्घोषित परिपत्रों में प्रदान किए गए दावे के विस्तार के संबंध में सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अगस्त, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अगस्त, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या